निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1936 (श0)

(सं0 पटना 841) पटना, शुक्रवार, 10 अक्तूबर 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

विद्यापति मार्ग, पटना–800001

————————

अधिसूचना

23 मई 2014

सं0 197—भगवती स्थान, ग्राम–मन्नीपुर, पो0–सारी, थाना–वारिसनगर, जिला–समस्तीपुर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या– 4254 है। यह एक अति प्राचीन एवं विख्यात मंदिर है।

इस न्यास के संबंध में पर्षद को जानकारी मिली कि यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है और दान/चढ़ावा से पर्याप्त आय है। इसके प्रबंधन से संबंधित कोई जानकारी संचिका पर उपलब्ध नहीं होने के कारण पर्षद के निरीक्षक द्वारा इसका स्थानीय जाँच कराया गया। जाँच में पाया गया कि मंदिर जिस जमीन पर अवस्थित है, वह मो0 माया देवी कुंअरी द्वारा बाबू वाशदेव नारायण को लिखा गया। उस वसीका का भाव माँ भगवती के प्रति समर्पण का है। बाबू वाशदेव नारायण के उत्तराधिकारी श्री रमेश कुमार एली और उनके परिवार के सदस्य एवं मंदिर के पुजारी श्री कमल किशोर झा उर्फ कमलेश झा ने लिखकर दिया कि इनलोगों को पर्षद में न्यास के निबंधन पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त सर्वे खतियान में भी ''सर्वसाधारण भगवती स्थान'' का नाम दर्ज है। श्री रमेश कुमार एली द्वारा हीं इस न्यास का निबंधन पर्षद में कराया गया। श्री रमेश कुमार एली की भी प्रबल इच्छा है कि इस मंदिर का प्रबंधन बेहतर ढंग से हो और इसका विकास हों। इसकी व्यवस्था के लिए श्री रमेश कुमार एली द्वारा ग्यारह सदस्यों का नाम पर्षद में प्रस्तावित किया गया। श्री एली द्वारा प्राप्त सूची को जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को भेजते हुये उनसे उक्त सूची में अंकित नामों का चरित्र सत्यापन एवं इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे स्वच्छ छवि के प्रतिष्ठित लोगों का नाम, जो इस

न्यास से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित नहीं हो और न्यास के कार्यो में रूची रखते हों, भेजने का आग्रह किया गया। उक्त आग्रह के आलोक में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर ने अपने पत्रांक 517 दिनांक 12.12.2013 एवं अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर के पत्रांक 390 दिनांक 26.02.2014 द्वारा पर्षद को सूचित किया कि भगवती स्थान मंदिर परिसर में अनुमण्डल पदाधिकारी, समस्तीपुर, की अध्यक्षता में श्री रमेश कुमार एली की सूची में प्रस्तावित व्यक्तियों के साथ–साथ अंचल अधिकारी, वारिसनगर, थानाध्यक्ष, वारिसनगर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्तियों तथा उपस्थित आम जन की एक बैठक दिनांक 18.10.2013 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में इस मंदिर की व्यवस्था हेतु भगवती स्थान मंदिर से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित न होने वाले एवं स्वच्छ छवि वाले सोलह व्यक्तियों का चयन कर उसकी सूची पर्षद को भेजी गयी। अधिनियम में हुये संशोधन के अनुसार न्यास समिति में सदस्यों की संख्या अधिकतम ग्यारह ही हो सकती है, अतः इन सोलह नामों में से ग्यारह नामों की न्यास समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हए भगवती स्थान, ग्राम– मन्नीपुर, पो0– सारी, थाना– वारिसनगर, जिला– समस्तीपुर, की सम्पत्तियों की सुरक्षा संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''भगवती स्थान, न्यास योजना''** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''भगवती स्थान, न्यास समिति, मन्नीपुर''** होगी जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 26.05.2014 से पॉच वर्षो का होगा। एक वर्ष के बाद इसकी कार्यो की समीक्षा की जायेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

(1)	अंचल अधिकारी, वारिसनगर, समस्तीपुर	–	पदेन अध्यक्ष
(2)	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह उर्फ उरूण सिंह पिता महेन्द्र ना0 सिंह, ग्राम+पोस्ट–सारी, जिला–समस्तीपुर	–	उपाध्यक्ष
(3)	श्री रमेश कुमार एली पिता स्व0 महेन्द्र प्रसाद, ग्राम–दौलतपुर, पोस्ट–शेखोपुर, जिला–समस्तीपुर	–	सचिव
(4)	श्री चन्देश्वर राय, पिता राधाकृष्ण राय, ग्राम–मन्नीपुर, पोस्ट–सारी, जिला–समस्तीपुर	–	कोषाध्यक्ष
(5)	थानाध्यक्ष, वारिसनगर, समस्तीपुर	–	पदेन सदस्य
(6)	श्री हेमन्त कुमार अम्बष्ट पिता स्व0 महेन्द्र प्रसाद ग्राम–दौलतपुर, पोस्ट–शेखोपुर, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य
(7)	श्री प्रीन्स कुमार, ग्राम–मूसापुर, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य
(8)	श्री कमल पासवान पिता स्व0 रामजी पासवान, ग्राम–मन्नीपुर, पोस्ट–सारी, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य
(9)	श्री राम नरेश सिंह पिता स्व0 कमल सिंह ग्राम–मन्नीपुर, पोस्ट–सारी, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य
(10)	श्री प्रह्लाद सिंह पिता स्व0 सीताराम सिंह, ग्राम–मन्नीपुर, पोस्ट–सारी, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य
(11)	श्री प्रदीप पासवान पिता स्व0 पथरू पासवान ग्राम–मन्नीपुर, पोस्ट–सारी, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य

आदेश से,

किशोर कुणाल,

अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 841-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in